जिलाधिकारी द्वारा किये जाने वाले पुनर्ग्रहण के आदेश का मानक आकार पत्र

आकार पत्र 1

–आदेश–

शासनादेश संख्या–32/744/एक–1–2016–20(5)/2016 राजस्व–1 दिनांक 03.06.2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता,2006 (उ0प्र0 अधिनियम संख्या–8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) व उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 55 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या–29/741/एक–1–2016–20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा उपजिलाधिकारी **मैनपुरी** की आख्या दिनांक **29.10.2018** द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में मैं **प्रदीप कुमार,जिलाधिकारी मैनपुरी** संलग्न अनुसूची में उल्लिखित भूमि को, जो अब तक शासनादेशानुसार स्तम्भ–06 में उल्लिखित ग्रामसभा सम्पत्ति के नाम निहित थी,फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा उक्त भूमि को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत नवीन भवन निर्माण हेतु ***"आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश,,*** को निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा।

क्र0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेअर में)	भूमि की श्रेणी/ प्रकृति	विवरणः–(प्रयोजन जिसके लिए भूमि पुनर्ग्रहीत की रही है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मैनपुरी	मैनपुरी	मैनपुरी	औडेण्य पडरिया	4983/4	1.618 हे0(4.00 एकड़) में से 1.500 हे0	श्रेणी–6 (4)ऊसर	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत नवीन भवन निर्माण हेतु ***"आवास एवं शहरी योजना नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश,,***

(प्रदीप कुमार)
जिलाधिकारी,मैनपुरी

कार्यालय जिलाधिकारी, मैनपुरी

संख्या 1065/डी0एल0आर0सी0 दिनांक 12/11/.2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, राजस्व उ0प्र0 शासन अनुभाग–1 लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को पत्रांक–1055/आठ–1–17–80विविध/2010 दिनांक 05.09.2007 के क्रम में।
3. आयुक्त, आगरा मण्डल आगरा।
4. उपजिलाधिकारी,मैनपुरी।
5. अधिशासी अभियन्ता,उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद निर्माण खण्ड–29, ऑफिस कॉम्पलेक्स,सेक्टर–9 सिकन्दरा योजना आगरा।
6. तहसीलदार, मैनपुरी को इस निर्देश के साथ कि भूमि से ग्राम सभा का नाम निरस्त कर प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत नवीन भवन निर्माण हेतु ***"आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश,,*** का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित कर मय फर्द खतौनी इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

District Magistrate Mainpuri

(प्रदीप कुमार)
जिलाधिकारी,मैनपुरी

294 Resumption

(1)

प्रतिलिपि उ0 चकबन्दी आकार पत्र 11

(पुनरीक्षित वार्षिक रजिस्टर)

नकल

ग्राम औडेन्य पड़रिया .... परग0 ....व.... तहसील ....व.... सदर ..... जिला- मैनपुरी

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
१६४८	ऊसर (जुज खाता) श्रेणी ६(४) जो अन्य कारणों से अकृषिक हो-		१/१ मि १/२ मि ४६८३मि	०.१४ १.२० २६.४४		१८६१	आदेश आयुक्त आगरा मण्डल सं० ३७४/आठ भ०/६४-८४ दिनांक १-६-८६ जिलाधिकारी मैनपुरी के पत्र सं० ४३६/ दिनांक दिसम्बर ६-१-८४ उ0प्र0 शासनादेश सं० ६८/३-२-१९९१/८६ दि० १ दिनांक ५-६-८८ का आर्थिक परीक्षण करते हुए उ0 प्रदेश जमींदारी विनाश तथा भूमि व्यवस्था अधिनियम १९५० (उ0प्र0 अधिनियम सं० १ - १९५१) की धारा ११६ की उपधारा के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना सं० २२८/रा०-१-१६-११-६२ दि० ८ मई १९८१ द्वारा प्रतिनिहित अधिकारी का प्रयोग करते हुए मैं आर० एस० यादव आयुक्त आगरा मण्डल आगरा निम्नलिखित भूमि को जो अब तक उपरोक्त दिनांक ५-६-८६ के शासनादेश के अनुसार अनुसूची के स्तम्भ ६ में उल्लिखित ग्राम समाज में निहित थी जिसे अपने अधिकार में लेकर सचिव उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी परिषद लखनऊ के अधीन करता हूँ।										
	कुलयोग		३१४	२१२६.०२													

क्रम	जिला	तहसील	परगना	गांव	ग्रामसभा का स्थानीय प्राधिकरण	गाटा	क्षेत्रफल	किराया	पुनर्ग्रहण	प्रयोजन जिसके लिए किया जाना है।
1	मैनपुरी	मैनपुरी	मैनपुरी	औडेन्य पड़रिया	प्राधिकरण, औडेन्य पड़रिया	४६८३	१२.००	—		ग्राम औडेन्य पड़रिया में गोदाम निर्माण हेतु

ह0 अपठ0 २०-१२-८६

न आदेश श्रीमान ए० महोदय दि० ३१/१६६५ धारा ...जो आदेश हुआ कि गाटा सं० ४६८३ मि ६.२४ लगान २६.६५ से ग्राम समाज खारिज करके श्रीमती नैलाल कुंवरी बेवा दलजीत निवासी मैनपुरी बतौर सीर दर्ज हो। ह0 अपठ0 २०-८-८६

न आदेश न्यायालय आ० ... मैनपुरी वाद सं० ४०८ धारा ... (२) दि० ६-६-९१ ग्राम औडेन्य पड़रिया न० मैनपुरी आदेश हुआ कि संयुक्त टीम की आख्या दिनांकित १८-५-९१ स्वीकार की जाती है। आख्या में अंकित जो०न० आ०प०-११ के खातासं० १८५८ अनुसार ग्राम समाज में प्रति० परगना महो० मैनपुरी मु० नं० ... /१६६८ १५-२-८६ गाटा नं० ४६८३/६.२४ एकड़ लगान २६.६५ पर श्रीमती नैलाल कुंवरी बेवा दलजीत नि० मैनपुरी के नाम स्वीकार दर्ज होने का अमलदरामद सम्बन्धी प्रविष्टि फर्जी कूटरचित एवं जालसाजी पर आधारित होने के कारण ग्राम औडेन्य पड़रिया के सम्बन्धित ग्राम अभिलेखों में निरस्त की जाती है विवादित आराजी ग्राम सभा में दर्ज हो। ह0 अपठ0 १२-६-९१ आख्या ह0 १३-६-९१

न आदेश श्रीमान ए० महोदय मु०नं० ४६६/१६६६ धारा ... के अन्तर्गत १५-२-८६ आदेश हुआ कि गाटा सं० ४६८३ मि/६.२४ लगान २०.६५ से ग्रामसमाज खारिज करके श्रीमती ऊषादेवी पत्नी देवेन्द्र सिंह नि० देवपुरा के नाम बतौर सीर दर्ज हो। ह0 अपठ0 २०-७-८६ आख्या २०-७-८६

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त आदेश की प्रतिलिपि — जिलाधिकारी मैनपुरी मोहर के पत्र सं० २५४०/ सी० एवं दिनांक २५-८-९५ के सन्दर्भ में इस आशय से प्रेषित कि अर्जन निकाय से गांव सभा पुनर्ग्रहण की कीमत रु० ३६६६००/- व पंजीकृत मूल्य नियमानुसार जमा करने के पश्चात ही पुनर्ग्रहण भूमि का हस्तांतरण एवं कब्जा की कार्यवाही करने का कष्ट करें। ह0 अपठ0

न आदेश श्रीमान ... अधिकारी / जिलाधिकारी महोदय मैनपुरी धारा १२२A मु0नं० ... दि० २०-१०-०१ हुआ कि ऊसर के खाते से खारिज करके गाटा सं० ४६८३ मि० ५.०० शहीद सुभाष सिंह चौहान राजकीय इण्टर कालेज के नाम अंकित किया जाये।

निकाले गाटा				दिये गये गाटा			
ऊसर	४६८३ मि०	५.००	— शहीद सुभाष रा० इ० कालेज	शहीद सुभाष इण्टर कालेज	४६८३	५.००	— (ऊसर)

(क्रमशः पृष्ठ पीछे)

नकल ... २६-११-२०० ... लेखपाल

खाता सं० १८५८ उपरोक्तानुसार —

- न आदेश श्रीमान न०अ० महोदय वाद सं० $\frac{360}{19.2.011}$ धारा 33/39 (2) आदेश हुआ कि संयुक्त टीम की आख्या दिनांकित 28/30.12.2010 स्वीकार की जाती है यह आख्या आदेश का अंग रहेगी 1411 के खाता सं० १८५८ व 4423 के चक सं० १५८ न में अंकित प्रविष्टि फर्जी कूट रचित एवं जालसाजी पर आधारित होने के कारण ग्राम के अभिलेख 1411 के खाता सं० १८५८ न चक सं० १५८ न से श्रीमती ऊषा देवी पत्नी देवेन्द्र सिंह नि० देवपुरा का नाम निरस्त करके विवादित आराजी पूर्ववत ग्राम समाज में दर्ज हो। ह० अस्पष्ट 1411 $\frac{\text{अस्पष्ट}}{19.2.11}$

- न आदेश श्रीमान न०अ० महोदय वाद सं० $\frac{360}{19.2.11}$ धारा 33 में आदेश हुआ कि खाता सं० 4423 में लगान 26.64 पर श्री विटोला देवी किशन सिंह नि० देवपुरा के नाम बतौर स्वीर दर्ज हो। ह० अस्पष्ट 20.8.26 अस्पष्ट

- न आदेश श्रीमान न०अ० महोदय वाद सं० $\frac{3६०}{19.2.011}$ धारा 33(2) में आदेश हुआ कि संयुक्त टीम की आख्या दिनांकित 28/30.12.2010 स्वीकार की जाती है। यह आख्या आदेश का अंग रहेगी 1411 के खाता १८५८ व 4423 के चक सं० १२०६ में अंकित प्रविष्टि फर्जी कूटरचित एवं जालसाजी पर आधारित होने के कारण उपरोक्त खातों से श्रीमती विटोला देवी पत्नी किशन सिंह नि० देवपुरा का नाम निरस्त होकर विवादित आराजी पूर्ववत ग्राम समाज मे दर्ज हो। ह० अस्पष्ट $\frac{\text{अस्पष्ट}}{19.2.11}$ 1414

आदेश श्रीमान न०अ० मु०न० $\frac{267}{9.1.14}$ की धारा 122 में ग्राम औडेय पडरिया तह० जिला मैनपुरी में श्रीमान उपजिलाधिकारी द्वारा अनुमोदित दि० 20.3.13 के अनुसार 57 ख के क्रमांक 01 के अनुसार गाटा सं० 4983 / 0.809 हे० ग्राम सभा के नाम लगान 20.00 से खारिज होकर दीपेन्द्र सिंह पुत्र नेत्रपाल सिंह माधुरी पत्नी दीपसिंह नि० नगलाजुला भाग ग्राम का नाम अ०श्रे० पट्टा दर्ज हो। ह० अस्पष्ट $\frac{\text{अस्पष्ट}}{17.1.14}$ 17.1.14

आदेश श्रीमान जिलाधिकारी महोदय मैनपुरी के पत्र संख्या 1065 / डी०एल०आर०सी० दिनांक 12.11.2018 के अनुपालन में शासनादेश संख्या-32/76/एक-1-2016-20(5)/2016 राजस्व-1 दिनांक 03.06.2016 का आंशिक परिष्कार करते हुए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 (उ०प्र० अधिनियम संख्या 8 सन् 2012) की धारा 59 की उपधारा (4) के खण्ड (ग) व उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 के नियम 57 द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके तथा शासकीय अधिसूचना संख्या-29/76/एक-1-2016-20(5)/2016 दिनांक 03.06.2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा उपजिलाधिकारी मैनपुरी की आख्या दिनांक 20.11.2018 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में मैं प्रदीप कुमार जिलाधिकारी मैनपुरी निम्नानुसार में उल्लिखित भूमि को जो अब तक शासनादेशानुसार सं०म० 06 में उल्लिखित ग्राम सभा सम्पत्ति के नाम निहित थी, फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ तथा उक्त भूमि को प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत नवीन भवन निर्माण हेतु "आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश" को निःशुल्क हस्तान्तरित करता हूँ। इस भूमि का अन्यथा उपयोग नहीं होगा।

क्र०	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	गाटा संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	भूमि की श्रेणी / प्रकृति	किस प्रयोजन हेतु विभाग को हस्तांतरित की जानी है
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मैनपुरी	मैनपुरी	मैनपुरी	औडेय पडरिया	4983/4	1.618 हे० (4.00 एकड़) में से 1.500 हे०	श्रेणी-6 (4) ऊसर	प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत नवीन भवन निर्माण हेतु "आवास एवं शहरी नियोजन विभाग उत्तर प्रदेश"

ह० अस्पष्ट 22.11.2018 अस्पष्ट

सत्यप्रतिलिपि
सरकारी कार्य हेतु नकल जारी की।
अस्पष्ट 26.11.2018